भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

सं. 3105/63/2011-बीसी-III दिनांक: 28 मार्च, 2013

सेवा में,

सभी टीवी चैनल

विषय: (1) मीडिया रिपोर्टों में नाबालिग आरोपी की पहचान का कथित खुलासा करके किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21 सहित सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से संदर्भ। (ii) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों का कार्यान्वयन। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) से संदर्भ।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपने दिनांक 01.02.2013 के डीओ सं. 17033-42734/2012-13/शिकायत/26899 के माध्यम से श्री अनंत अस्थाना, वकील की दिनांक 31.1.2013 की याचिका/शिकायत अग्रेषित की है जिसमें मीडिया रिपोर्टों में दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग आरोपी की पहचान के कथित खुलासे के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21 सहित वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन शामिल है। शिकायत स्वतः स्पष्ट है।

2 यह भी उल्लेखनीय है कि एनसीपीसीआर से प्राप्त पूर्व संदर्भों के अनुसार, इस मंत्रालय ने समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों के साथ-साथ टीवी चैनलों के प्रतिनिधि निकायों जैसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) को भी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों की पहचान की सुरक्षा के संबंध में दिनांक 8.8.2012 को एक निर्देश जारी किया था। इसमें साथ ही टीवी चैनलों, एनबीए और आईबीएफ को दिनांक 23.11.2012 को एक पत्र भी जारी किया था। बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश, चैनलों को उक्त निर्देश और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक था। ये मंत्रालय की वेबसाइट: www.mib.nic.in पर पहले से ही उपलब्ध हैं।

3 दिनांक 1.2.2013 के अपने उपरोक्त पत्र में, एनसीपीसीआर ने कानूनों के अंतर्गत सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, विशेष रूप से किशोर न्याय अधिनियम 2000 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों और "बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग" के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनसीपीसीआर ने यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि मीडिया में किसी भी तरह से नाबालिग आरोपी की आगे लेबलिंग न हो।

4 दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने अपने दिनांक 30.1.2013 के पत्र संख्या एफ.डीसीपीसीआर /12- 13/39/4217-20 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से कहा है कि यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 44 के अंतर्गत, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार है, डीसीपीसीआर ने मीडिया के प्रदर्शन के लिए अधिनियम की संबंधित धाराओं को शामिल करते हुए मीडिया की भूमिका (प्रतिलिपि संलग्न) पर एक नोट तैयार किया है।

5 तदनुसार, सभी टीवी चैनलों को (i) बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग करते समय एनसीपीसीआर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 21 सहित सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, और (ii) डीसीपीसीआर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों और 'मीडिया की भूमिका' पर नोट का अनुपालन भी सुनिश्चित करना है।

भवदीय

हस्ता./-
(डीसी पाठक)
अवर सचिव (बीसी-I)
दूरभाषः 23387930

प्रतिलिपि

1. श्री के.वी.एल. नारायणराव, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एमई-5, शाह विकास अपार्टमेंट , 68 , पटपड़गंज , दिल्ली 110092

2. श्री मान जीत सिंह, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049।